

निर्णय बईजलास रामचरण शर्मा, आर.ए.एस., न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

प्रकरण सख्या:-40/18

दायरा 19.05.18

रामनारायण गूर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़
प्रार्थी.....

बनाम

1. मनीष कुमार आ० कैलाशचन्द्र विक्रेता एवं मालिक मैसर्स अराध्य ट्रेडर्स पोस्ट ऑफिस रोड़ भवानीमण्डी जिला झालावाड़।
2. कमल कुमार आ० कस्तूरचन्द्र जैन मैसर्स मयंक ट्रेडिंग कम्पनी भवानीमण्डी।
3. रेशिम नाकाडे नॉमिनी मैसर्स मयंक ट्रेडिंग कम्पनी विद्या कॉम्प्लेक्स के सामने गुजरात अम्बुजा एक्सपोर्ट सोघनी मंदसोर

गैर सायलान.....

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(11)एफ०एस०एस० एक्ट 2006 नियम 2011

- उपस्थित- 1- परोकार सरकार
2- गैर सायलान

-: आदेश :-

दिनांक:- 20.08.2018



श्री रामनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मैं खाद्य विभाग की अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक /एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियों प्रयुक्त करने कि लिए अधिकृत किया गया हूँ। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वा० सेवार्य राज० जयपुर के आदेश क्रमांक /एच/पी.एफ.ए./नोटिफिकेशन/2011/775 दिनांक 10.08.2011 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा० अधि० झालावाड़ द्वारा आवंटित किया गया है और झालावाड़ जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र में आते है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने आवेदन मे आगे वर्णित किया गया कि दिनांक 16.02.2018 को श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा दिये आदेशो की पालना में मय टीम के आराध्या ट्रेडर्स पोस्ट ऑफिस रोड़ भवानीमण्डी जिला झालावाड़ पहुँचकर मेरे द्वारा वहाँ का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उक्त संस्थान पर तेल सोया रिफाइनड (आम्बूजा हैल्थ) जो कि बेचान के लिये रखे हुए थे। जो कि आम जनता को बैचान किया जा रहा था। निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य प्रदार्थ तेल सोया रिफाइनड (आम्बूजा हैल्थ) जो दुकान पर अलमारी में रखा हुआ जो आम जनता को बैचान किया जा रहा था। उसमे मिलावट का संदेह होने चार मूल पैक लेकर जिसकी कीमत विक्रेता को रु 200/- नगद देकर वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी रसीद प्राप्त की जो इस्तगासे के साथ संलग्न है। मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रति तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे मनीष कुमार आ. कैलाशचन्द्र विक्रेता एवं मालिक मैसर्स अराध्य ट्रेडर्स पोस्ट ऑफिस रोड़ भवानीमण्डी जिला झालावाड़ (राज.) बहसियत मालिक खाद्य पदार्थ तेल सोया रिफाइनड (आम्बूजा हैल्थ) ने भी पढ़कर सुनकर एवं समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये, फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति विक्रेता मनीष कुमार आ. कैलाशचन्द्र विक्रेता एवं मालिक मैसर्स अराध्य ट्रेडर्स पोस्ट ऑफिस रोड़ भवानीमण्डी जिला झालावाड़ (राज.) बहसियत मालिक को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म संख्या 5 ए इस्तगासे के साथ संलग्न है। खरीदशुदा खाद्य तेल सोया रिफाइनड (आम्बूजा हैल्थ) के मूल पैक पर ही लेबल चिपकाये और लेबलो पर खाद्य पदार्थ का विवरण एवं डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक वी-930 दर्ज किया तथा प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करायें। नमूना भागों को अलग-2 खाकी कागज में लपेट कर दोनो किनारो को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक पेपर स्लिप नं. वी-930 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागों को अपने जापों में लिया। मौके पर नियमानुसार कार्यवाही कर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं गवाहान ने पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं मैने हस्ताक्षर किये, फर्द रिपोर्ट की प्रति इस्तगासे के साथ संलग्न है।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

(1)

P.T.O.

(2)

कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की 6 प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर एवं दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर स्वयं श्री रामनारायण गुर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय हाजा के द्वारा श्रीमान मुख्य खाद्य विश्लेषक कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो इस्तगासे के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2018 /66 दिनांक 09.04.18 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा राजस्थान से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 126/एफएसएसए/कोटा/एक्ट/2018/170/दिनांक 15.03.18 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, खाद्य पदार्थ तेल सोया रिफाइण्ड (अम्बूजा हैल्थ) रिपोर्ट में मिसब्राण्ड होना पाया गया है। जिसकी सूचना गैर सायलान को अधिनियम की धारा 46(4) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड डाक द्वारा पुनः जाँच करवाने हेतु दी गई, जिसके विरुद्ध कोई अपील प्राप्त नहीं हुई, जाँच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में यह भी कथन किया है कि अभिहित अधिकारी एवं चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी झालावाड़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2018/101 दिनांक 06.06.18 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। इसी के साथ निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में गैरसायलान ने खाद्य पदार्थ तेल सोया रिफाइण्ड (अम्बूजा हैल्थ) मिसब्राण्ड का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (11) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायलान को जर्ज नोटिस तलब किया गया एवं नोटिस में नियत दिनांक एवं समय पर अम्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया गया। गैर सायलान द्वारा अपनी मौखिक बहस में असुरोध किया गया कि खाद्य सुरक्षा के नियमों की जानकारी नहीं होने के कारण खाद्य पदार्थ में लेबलिंग नियमानुसार नहीं हो पाई, अब नियमानुसार लेबलिंग की जा रही है, कृपया प्रकरण खारिज फरमाकर गैर सायलान को दोषमुक्त किया जावे। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्य की पुष्टि में संलग्न किये गये दस्तावेजों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कथन किया कि गैरसायलान द्वारा खाद्य पदार्थ तेल सोया रिफाइण्ड (अम्बूजा हैल्थ) मिसब्राण्ड का विक्रय किया जाना पत्रावली पर उपलब्ध खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट से साबित होता है। आवेदन किये जाने हेतु पदाभिहित अधिकारी से प्राप्त लिखित प्राधिकार भी आवेदन के साथ संलग्न किया गया है। गैर सायलान से अवमानक खाद्य पदार्थ तेल सोया रिफाइण्ड (अम्बूजा हैल्थ) मिसब्राण्ड के नमूने लिये जाने की कार्यवाही से सबधित दस्तावेज भी आवेदन के साथ संलग्न किये गये हैं। उक्त सभी दस्तावेजों से साबित होता है कि गैर सायलान द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ तेल सोया रिफाइण्ड (अम्बूजा हैल्थ) मिसब्राण्ड का भण्डारण एवं विक्रय किया गया है। अतः इस्तगासा स्वीकार फरमाया जाकर गैर सायलान को ज्यादा से ज्यादा जुर्माने से दण्डित किया जावे ताकि आम जनता को बेचान हो रहे मिथ्या छाप खाद्य पदार्थ पर अंकुश लग सके।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया तथा गैरसायलान की मौखिक बहस पर गौर किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टिया होती है। गैर सायलान द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ तेल सोया रिफाइण्ड (अम्बूजा हैल्थ) मिसब्राण्ड का विक्रय किया जाना सन्देह से परे साबित है। फूड एनालिस्ट की जाँच रिपोर्ट अनुसार गैर सायलान का यह कृत्य एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 3(1)(जेड.एफ.)(ए.)(आई.) (ए)(सी)(आई) के प्रावधानों के उल्लंघन की श्रेणी है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में है, जिसके लिए जुर्माने का दण्ड अधिनियम की धारा 52 में उपबन्धित किया गया है। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए गैर सायलान नं0 1 व 2 मनीष कुमार व कमल कुमार को 5000-5000/- व गैर सायलान 3 रेशिम नाकाडे नॉमिनी मैसर्स मयंक ट्रेडिंग कम्पनी को 10000/- के जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियमानुसार उक्त राशि वसूली की कार्यवाही कर जुर्माना राशि राजकोष में जमा करा चालान की प्रति न्यायालय में पेश करें। पत्रावली फाँसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.08.18 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया। निर्णय की प्रति शामिल पत्रावली रहे।

(समचरण शर्मा)
न्यायनिर्णयक अधिकारी एवं
आति0 जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़
आति0 जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज0)